भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3192**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**प्रधन मंत्री मातृ वंदना योजना (पी॰एम॰एम॰वी॰वाई॰) की स्थिति**

**3192. श्रीमती रेणुका चौधरी:**

 क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पी॰एम॰एम॰वी॰वाई॰) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान इस योजना के तहत आवंटित की गई और लाभार्थियों को संवितरित की गई कुल धनराशि कितनी-कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा बच्चों की संख्या पर ध्यान दिए बिना समस्त गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

डॉ. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) : सरकार ने प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) को पूरे देश में 01.01.2017 से क्रियान्‍वयन के लिए 17.05.2017 को इसका अनुमोदन किया। इस स्‍कीम के क्रियान्‍वयन दिशा-निर्देश और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सामान्‍य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) 01.09.2017 से शुरू किया गया है। अब तक, 18.31 लाख से भी अधिक लाभार्थियों का प्रसूति लाभ प्राप्त करने के लिए वेब-आधारित विशेष एमआरएस साफ्टवेयर पीएमएमवीवाई-सीएएस पर नामांकन किया जा चुका है।

(ख) : वित्‍तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान 2700.00 करोड़ रुपये है, जिसे संशोधित अनुमान स्‍तर पर घटाकर 2594.55 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 2594.55 करोड़ रुपये में से मंत्रालय ने सभी 36 राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को 2048.92 करोड़ रुपये स्‍वीकृत/निर्मुक्‍त कर दिए हैं। स्‍कीम के अंतर्गत,18.03.2018 तक की स्‍थिति के अनुसार, 29 राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा लगभग 8 लाख लाभार्थियों को 180.00 करोड़ से भी अधिक राशि के प्रसूति लाभ संवितरित किए जा चुके हैं।

(ग) : इस प्रकार का कोई प्रस्‍ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*